<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10/11/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने अवैध रेत खनन प्रकरण में जी. डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर अरुण सराफ को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 06.11.2025 को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उन्हें 14.11.2025 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने यह जाँच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकी (FIRs) के आधार पर प्रारम्भ की है, जो रेत की चोरी, अवैध बिक्री तथा जी. डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए गए जाली रोड ई-चालान का उपयोग कर रेत के अवैध परिवहन से संबंधित हैं। एक प्राथमिकी के अनुसार, भसरा ब्रिज के समीप दो रेत-लोडेड ट्रक पकड़े गए, जो जाली रोड ई-चालान का उपयोग कर चोरी की गई रेत का परिवहन कर रहे थे। इन प्राथमिकीओं में यह पाया गया कि जाली/कूट-रोड ई-चालान जी. डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए गए थे तथा संबंधित वाहनों और जाली रोड ई-चालानों को पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया।

ईडी की जाँच में यह खुलासा हुआ है कि अरुण सराफ, जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित प्रमुख निर्णय लिया करते थे, ने इस घोटाले को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इससे अत्यधिक अवैध आय अर्जित की।

इस प्रकरण में इससे पूर्व, 08.09.2025 को ईडी द्वारा कोलकाता एवं झाड़ग्राम स्थित 16 परिसरों में तलाशी कार्रवाई की गई थी। उक्त तलाशी के दौरान मेसर्स जी. डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों से ₹29 लाख नकद, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, तलाशी में शामिल संस्थाओं की चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद किया गया।

ईडी की जाँच में यह तथ्य सामने आया कि नकली/अवैध चालानों का उपयोग नदी अथवा भंडारण स्थलों से चोरी की गई रेत के अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था। आरोपित व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा आवंटित अथवा नीलामी के माध्यम से प्राप्त खदानों/भंडारण स्थलों से चोरी की गई रेत को अवैध रूप से स्थानांतरित किया जा रहा था। जाँच में यह भी सामने आया कि उपरोक्त अवैध गतिविधियों से उत्पन्न नकद धनराशि को नियमित लेखा-पुस्तकों में अज्ञात स्रोतों से नकद जमा के रूप में शामिल कर वैध दिखाने का प्रयास किया गया। इन कपटपूर्ण तरीकों को अपनाते हुए आरोपित व्यक्तियों/संस्थाओं ने व्यापक स्तर पर रेत की चोरी, अवैध परिवहन एवं बिक्री की, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों को अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ।

यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह कार्यपद्धति व्यापक स्तर पर अपनाई जा रही है। साथ ही, अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका, अपराध से अर्जित धन का पता लगाने, उसके परत-दर-परत निवेश तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाँच भी जारी है।

आगे की जाँच जारी है।